न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला–सलूम्बर

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 86 / 2022 प्रा.प.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022 / 101

उनवान

1. श्री खेमराज पिता भगवान मीणा, उम्र बालिग
2. मृतक नाना पिता भगवान मीणा का आदेश दि० 18–02–2026 से नाम हटाया गया।
3. श्रीमती कंकु बाई पत्नि भगवान मीणा, उम्र बालिग,
   निवासीयान मोडपुरा, पटवार मण्डल कांट, तह. सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री काल पिता देवा मीणा, उम्र बालिग,
2. श्री धुला पिता देवा मीणा उम्र बालिग,
3. श्री दोला पिता लिम्बा मीणा, उम्र बालिग,
4. श्री रूपा पिता लिम्बा मीणा, उम्र बालिग,
5. श्रीमती मेगी बाई पत्नि किसन मीणा, उम्र बालिग,
6. श्री रामा पिता किसन मीणा, उम्र बालिग,
   सभी निवासीयान मोडपुरा, पटवार मण्डल कांट, तहसील सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी.

–::निर्णय::–

दिनांकः– 06/05/2026

उपस्थितिः श्री नारायणसिंह चूण्डावत अधिवक्ता– प्रार्थीगण
विपक्षीगण– एक पक्षीय।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण एक ही जाति समाज एवं एक ही गांव के निवासी होने से सभी की मौझा मोडपुरा पटवार हल्का कांट तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर में निम्नलिखित कृषि भूमि स्थित है–

(अ)– खाता संख्या 10 कुल किता 19 रकबा 2.59 हैक्टेयर स्थित है। उपरोक्त खाता सं. 10 में प्रार्थीगण के स्व. पिता भगवान पिता देवा मीणा का 1/6 हिस्सा है जिसमें उनके हिस्से में से उनकी मृत्यु दिनाक 20–11–2021 को हो जाने से उनके एकमात्र विधिक वारिसान प्रार्थीगण ही होने से संयुक्त रूप से उनके बजाय 1/6 हिस्से के वारिसान प्रार्थीगण होने से प्रार्थीगण पुरे खाते में से अपना 1/6 हिस्से में से अपना–अपना हिस्सा की भूमि का पांती बंटवाडा कराना चाहते है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 1 का 1/6वां हिस्सा. प्र.सं. 2 का 1/6वां, प्र.सं. 3 का 1/8वां, प्र.सं. 4 का 1/8वां, प्र.सं. 5 का 1/16वां, प्र.सं. 6 का 1/16वां तथा गेबा पिता लिम्बा के लाऔलाद मृत्यु हो जाने से

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

उसका सम्पूर्ण हिस्सा 1/8वां हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 से 6 का ही होने से जमाबन्दी अनुसार बंटवाया किया जाना आवश्यक है।

(ब)– खाता संख्या 9 आराजी नम्बर 398/0.15, 400/0.44 कुल किता 02 रकबा 0.59 हैक्टेयर, उपरोक्त खाता सं. 9 में प्रार्थीगण के स्व. पिता भगवान पिता देवा मीणा का 1/3 हिस्सा है जिसमें उनके हिस्से में से उनकी मृत्यु दिनांक 20–11–2021 को हो जाने से उनके एकमात्र विधिक वारिसान प्रार्थीगण ही होने से संयुक्त रूप से उनके बजाय 1/3 हिस्से के वारिसान प्रार्थीगण होने से प्रार्थीगण पुरे खाते में से अपना 1/3 हिस्से में से अपना–अपना हिस्सा की भूमि का पांती बंटवाडा भी कराना चाहते है तथा शेष हिस्सा प्र.सं. 1 का 1/3वां एवं प्र.सं. 2 का भी 1/3वां हिस्सा है जिससे प्रत्येक का 1/3वां हिस्सा होने से बंटवाडा किया जाना आवश्यक है।

(स)– खाता सं. नया–पुराना 67–70 आराजी नम्बर 378/0.64, 387/0.11 कुल किता 02 रकबा 0.75 हैक्टेयर, उपरोक्त खाता सं. 67 में प्रार्थीगण के स्व. पिता भगवान पिता देवा मीणा के ही अकेले के खाते होने से सम्पूर्ण रकबा में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/3 हिस्सा होने से प्रार्थीगण के पक्ष में 1/3–1/3 हिस्से की भूमि का वादी के पिता की मृत्यु दिनाक 20–11–2021 को हो जाने से उनके एकमात्र विधिक वारिसान प्रार्थीगण के ही होने से संयुक्त रूप से उनके वारीसान के खाते दर्ज कर प्रार्थीगण के पक्ष में आपस में 1/3–1/3 हिस्से के लिये पाती बंटवाडा किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के परिवार का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगणों के मध्य पाती बंटवाडे को लेकर कई बार गाली गलौच व लडाई झगडा होता रहा है तथा विपक्षीगण प्रार्थीगणों के हिस्से की भूमि पर भी काबिज होना चाहते है। मौके पर विधिवत मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर पांती बंटवाडा नहीं होने से आये दिन लडाई झगडा होने से राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के हिस्से मुताबिक प्रार्थीगण वाद पत्र की कलम संख्या 1 की (अ) में वर्णित खाता सं. में अपने स्व. पिता भगवान पिता देवा के विधिक वारिसान होने से उनकी मृत्यु हो जाने से 1/6 हिस्सा प्रार्थीगण तीनों के खाते दर्ज हो 1/6 हिस्से में से प्रार्थीगणो के हिस्से मुताबिक राजस्व रिकार्ड व मौके पर शेष विपक्षीगणों के हिस्से को छोड प्रार्थीगण का अपना अपना अलग अलग पाती बटवाडा कर हिस्सा अलग अलग किये जाने के लिये यह वाद बाबत् स्थाई घोषणा पाती बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है।

वाद पेश करने से 10–20 दिन पूर्व वादीगण मौके पर काबिज कृषि भूमि पर जुताई करने गये तो प्रतिवादीगणो ने व उनके परिजन कम ज्यादा हिस्से को लेकर गाली गलौच व लडाई झगडा किया जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है तथा विपक्षीगण बिना पांती बंटवाडा हुये उक्त भूमि पर काबिज हो जाते है तो प्रार्थीया को अपुरणीय क्षति होगी इसलिये प्रार्थीया यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में विपक्षीगणो के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि मुल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण के हिस्से तक विपक्षीगण किसी भी रूप से दखलन्दाजी स्वयं व उनके परिजन एजेन्ट, सिजारी आदि नहीं करे व खुर्द बुर्द (हस्तान्तरण) नहीं करे, के लिये विपक्षीगणो के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावै।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलवी हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षीगण ने कोई जवाब पेश नही किया एवं न्यायालय मे गैर हाजिर रहने से उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली मे प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया।

बहस मनन की गई। एव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि भूमि का विधिवत बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है तथा पक्षकारों के मध्य विवाद एवं तनाव की स्थिति बनी हुई है। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। संतुलन की सुविधा भी प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा यदि अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जाती है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतएव, न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मूल वाद के अंतिम निर्णय होने तक दोनों पक्ष वादग्रस्थ आराजीयात की यथास्थिति बनाए रखें। तथा प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे विवादित भूमि में प्रार्थीगण के हिस्से में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, कब्जा, अतिक्रमण नहीं करेंगे तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से ऐसा करवाएंगे।

निर्णय दिनांक 06/05/2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला–सलूम्बर
जिला सलूम्बर